	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 10, शुक्रवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 01, 2023 *Agrahayana 10, Friday , Saka 1945- December 01 , 2023*	

भाग-4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 1, 2023

संख्या प.4(1)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(2023 का अध्यादेश संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 है।

(2) यह 1 अक्टूबर 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) विद्यमान खण्ड (80) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (81) से पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसमें ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी सम्मिलित है;

"(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी सम्मिलित है, धन या धन के मूल्य, जिसमें आभासी डिजिटल आस्तियां भी

सम्मिलित हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसमें आभासी डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, चाहे इसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो या नहीं;";

(ख) विद्यमान खण्ड (102) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (103) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा" से-

(i) दांव;

(ii) कैसीनो;

(iii) जूआ;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाईन धनीय गेम खेलना;

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;";

(ग) विद्यमान खण्ड (105) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (105) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के प्रदाय की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो ऐसे प्रदाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, उसे ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदायकर्ता समझा जायेगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किये जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के प्रदाय के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या अंतरित किये जाते हैं या किसी भी रीति से उसको दिये जाते हैं, और इस अधिनियम के समस्त उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता हो;"; और

(घ) विद्यमान खण्ड (117) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (118) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो उसे आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 2 के खण्ड (47क) में समनुदेशित किया गया है;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 के विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का प्रदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति;"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के, पैरा 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "लाटरी, दांव और जुआं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. संक्रमणकालीन उपबंध.- इस अध्यादेश के अधीन किये गये संशोधन दांव, कैसीनो, जूआ खेलने, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 1, 2023

No. F.4(1)Vidhi/2/2023.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (2023 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 29th day of November, 2023:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(Ordinance No. 1 of 2023)

(Made and promulgated by the Governor on the 29th day of November, 2023)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st October, 2023.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) after the existing clause (80) and before the existing clause (81), the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;";

(b) after the existing clause (102) and before the existing clause (103), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;";

(c) in clause (105), for the existing punctuation mark ";" appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after clause (105) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all

the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"; and

(d) after the existing clause (117) and before the existing clause (118), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);".

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (x) and before the existing clause (xi) of section 24 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xa) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India;".

4. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In Schedule III of the principal Act, in paragraph 6, for the existing expression "lottery, betting and gambling", the expression "specified actionable claims" shall be substituted.

5. Transitory provision.- The amendments made under this Ordinance shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।